महत्वपूर्ण सूचना

उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग–3 संख्या–108/2021/2499/26–3–2021–4 [358]/07 टी.सी.–III लखनऊः दिनांक– 21 सितम्बर, 2021 के कार्यालय–ज्ञाप के अनुपालन में नियमावली–2021 दिनांक– 21.09.2021 को प्रख्यापित की गयी है, के नियमावली के नियम–6 [xvii]में प्राविधान है कि– **शैक्षिक सत्र –2022–23 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थित वाली छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बेस उपस्थिति प्रणाली [भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर] को स्थपित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसी छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगी तथा छात्रा को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि छात्रा को संस्थान में वापस करनी होगी।**

उक्त संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली वर्ष 2021–22 से लागू होगी। संस्था की समस्त पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्राओं की उपस्थिति सत्र– 2022–23 में 75 प्रतिशत से कम है उनके छात्रवृत्ति फार्म को अग्रसारित /संस्था में जमा कर पाना संभव नहीं होगा। तथा उनके यूराइज पोर्टल के माध्यम से भरे जाने वाले परीक्षा फार्म की कार्यवाही भी संभव नहीं हो पायेगी यदि वे संस्था में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक में अपनी 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं करती हैं।

यह भी समस्त पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021–22 में जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गयी है और उनकी संस्थान में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है उन छात्राओं से छात्रवृत्ति की वसूली की जा सकती है।

अतः सभी छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति कम है वे आगामी कक्षा में उपस्थित होकर अपनी कुल उपस्थिति 75 प्रतिशत पूर्ण करें अन्यथा की स्थिति में ऐसी छात्राएं परीक्षा तथा छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेगीं। तथा सत्र–2021–22 में प्राप्त की गयी छात्रवृत्ति की वसूली की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगी।

[एल0पी0सिह]
प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पालिटेक्निक
अयोध्या

कार्यालय प्रधानाचार्य,राजकीय महिला पालीटेक्निक, अयोध्या।

पत्रांक– 105–01 / छा0वृ0/शु0प्रति0पत्रा0/2022–23 दिनांक– 11-5-22

प्रतिलिपि–

1. समस्त कक्षाध्यापक को इस निर्देश के साथ कि जिन छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है उनकी सूची अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।
2. नोडल अधिकारी/प्रभारी संस्थागत।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा व छात्राओं के ग्रुप में प्रसारित करने हेतु।

[एल0पी0सिह]
प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पालिटेक्निक
अयोध्या

नोडल अधिकारी
राजकीय महिला पालीटेक्निक
अयोध्या